



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 08.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियाँ दी गईं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 08.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव थाना पहाड़ी, उ०नि० यू०टी० आकांक्षा सिंह व आरक्षी कमलेश कुमार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा मु०सं० 147/19 धारा 379/411 भादवि० व 4/24 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त नारायणदीन पुत्र बाबू उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम सकरौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ०नि० श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी व आरक्षी नीतु द्विवेदी द्वारा अ०सं० 1063/2010 धारा 379/427/506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र अवधेश कुमार निवासी जंगदीशगंज कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. अस्तफा हुसैन उर्फ बवाली पुत्र स्व० मुस्तफा निवासी भरतपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(3). उ०नि० श्री कैलाशनाथ व आरक्षी श्याम चौकी शिवरामपुर द्वारा अ०सं० 526/015 धारा 279,337,338 भादवि० के वारंटी अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र कोदा पाल निवासी पथरौड़ी चौकी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ०नि० श्री नन्दराम, उ०नि० अरविन्द सिंह व मुख्य आरक्षी जय सिंह द्वारा अ०सं० 38/022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सालिकराम पुत्र चुन्ना कौल निवासी चुनकावन का पुरवा मजरा कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ०नि० श्री गजबेय आलम कोतवाली कर्वी व आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा अ०सं० 777/2019 धारा 452,354427,323,504,506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त दहू उर्फ मुकेश यादव पुत्र नत्थू यादव निवासी पुरानी बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट 2. अ०सं० 28/020 धारा 380,411,413,414 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त अर्जुन केशरवानी पुत्र अनिल केशरवानी निवासी गोलतालाब कसहाई रोड़ को गिरफ्तार किया गया।

(6). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग उ०नि० श्री रमेश यादव व आरक्षी राहुल वर्मा, आरक्षी आशीष कुमार द्वारा अ०सं० 84/011 धारा ¾ जुआ अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त श्रीचन्द्र पटेल पुत्र चुन्ना पटेल निवासी भगनपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). चौकी प्रभारी मण्डी समिति उ०नि० श्री श्यामदेव सिंह व आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा एसएफएलटी नंबर 218/017 धारा 323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पुत्र रामदीन निवासी बिजली पावर हाउस के सामने पहाड़ी रोड कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). उ०नि० श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा अ०सं० 130/2024 धारा 452,447,323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त अनूप सिंह पुत्र आर्यनंदन सिंह निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री उ०नि० श्री यशनारायण सिंह थाना मऊ व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2024 को थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम निवासी वादिया द्वारा थाना पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को सोमनाथ पुत्र भाऊ केवट बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु०अ०सं० 206/2024 धारा 137(2),64(1) पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 08.12.2024 को अभियुक्त सोमनाथ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री यशनारायण सिंह थाना मऊ

2. आरक्षी राहुल पाण्डेय

(5).). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री रामप्रीत सिंह मय उ०नि० श्री राजेश कुमार, उ०नि० यूटी० श्री अखिलेश कुमार मय हमराह का० चन्द्रभूषण, का० सूरज निर्मल, चालक का० पवन यादव प्रकीर्ण वाद सं०-374/23 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त दीनदयाल पुत्र कालसेन निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।